छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक– 14/02/2008

क्रमांक एफ– 10-184/2007/वा.कर(पं.)/पांच(08) :: भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा निजी भूमिस्वामी की भूमि अधिग्रहण किये जाने के सभी प्रकरणों में प्रभावित भूमिस्वामी द्वारा प्राप्त प्रतिकर (मुआवजा) की रकम से, उनके पक्ष में निष्पादित कृषि भूमि क्रय करने संबंधी अंतरण की लिखतों पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है:–

(i) अधिग्रहण से प्रभावित भूमिस्वामियों द्वारा, प्रतिकर (मुआवजा) राशि प्राप्ति दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में, विलेख निष्पादित किया गया हो ।

(ii) स्टाम्प शुल्क से छूट की पात्रता प्रभावित भूमिस्वामियों को प्राप्त प्रतिकर (मुआवजा) की रकम पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तक परिसीमित होगी, क्रय की जाने वाली ऐसी कृषि भूमि का बाजार मूल्य, प्रतिकर (मुआवजा) की राशि से अधिक होने की स्थिति में, संपत्ति के शेष बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क देय होगा ।

(iii) प्रभावित व्यक्ति द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित हो ।

(iv) संबंधित भूमिस्वामी को छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए, संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये प्रारूप अनुसार, अधिग्रहण क्षेत्र के भू–अर्जन प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(v) ऐसा प्रमाण–पत्र पंजीयन के लिये प्रस्तुत क्रय विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर उसे दस्तावेज का भाग बनाया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :– **इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ,**

1) उक्त अधिसूचना दिनांक 01–नवंबर,2007 से प्रभावशील होगी ।

2) अधिसूचना में उल्लेखित 'अनुसूचित क्षेत्र' से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जिसे भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची की कंडिका 6 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो ।

3) ऐसे विलेखों जिनमें संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प ड्यूटी चुका दी गई हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नही होगी ।

4) यदि एक ही पंजीयन कार्यालय में एक से अधिक हस्तांतरण विलेख पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं, तो मूल प्रमाण–पत्र पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0आर0 मिश्रा)
संयुक्त सचिव,

रायपुर, दिनांक– 14/02/2008

क्रमांक एफ– 10-184/2007/वा.कर(पं.)/पांच (08) :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ– 10-184/2007/वा.कर(पं.)/पांच (08), दिनांक– 14/02/2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0आर0 मिश्रा)
संयुक्त सचिव,

परिशिष्ट

छ0ग0 शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में निजी भूमि स्वामियों की भूमि अधिग्रहण किये जाने के मामलों में प्रभावित व्यक्तियों को प्रदत्त स्टाम्प शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु

प्रमाण-पत्र

(दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर यह प्रमाण-पत्र मूल में कार्यालयीन प्रति के साथ संलग्न किया जावे)

सरल क्रमांक .... दिनांक– ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी–.. पिता/पति–.. जाति–... निवासी–.. तहसील–......................... जिला–....................... (छ.ग.) की, ग्राम–....................................... प.ह.नं.–.................... राजस्व निरीक्षण मण्डल–............................... ब्लाक–....................... तहसील–.......................... जिला–...................... (छ0ग0) में स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि जिसका खसरा नम्बर .... रकबा–.............................. है, ... प्रयोजन के लिए अधिग्रहित किया जाकर दिनांक–...............................को प्रतिकर (मुआवजा) की राशि रूपये ..../– (शब्दों में–...) नियमानुसार भुगतान की गई है ।

प्रमाणित किया जाता है कि अधिग्रहित की गई भूमि, भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची की कंडिका 6 के अधीन घोषित, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है ।

यह प्रमाण पत्र एतद द्वारा आज दिनांक–............................... को छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, की अधिसूचना क्रमांक–.. दिनांक–.......................... की शर्तों के अधीन प्रभावित भूमि–स्वामी द्वारा रूपये ..../– (शब्दों में–...) तक की कृषि भूमि क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक–......................... तक दस्तावेज के निष्पादन हेतु प्रभावशील होगा ।

स्थान :
तारीख :

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर सील सहित)

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE AND PLANNING DEPARTMENT
[COMMERCIAL TAX (REGISTRATION) DEPARTMENT]
MANTRALAYA
DAU KALYAN SINGH BHAWAN, RAIPUR

// **Notification** //

Raipur, Dated : 14 / 02 /2008.

No.-F- 10-184 /2007/CT/(R)/V/(08) :: In exercise of the powers conferred by clause(a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act,1899 (No.2 of 1899), the State Government hereby remits the stamp duty, chargeable on instruments of conveyance, executed in favour of affected "bhumiswami" for the purchase of agricultural land from the compensation amount received in all cases of acquisition of land of private "bhumiswami" by the State Government of Chhattisgarh in Scheduled Areas, subject to the following conditions ;

(i) the deed is executed within a period of 3 years from the date of receipt of compensation for land acquisition by affected "bhumiswami" .

(ii) the purchase amount does not exceed the compensation amount received and where the market value of the agricultural land to be so purchased exceeds the compensation amount, stamp duty shall be payable on the remaining market value of the property.

(iii) the agricultural land purchased by the affected person is situated within the State of Chhattisgarh.

(iv) to avail the benefit of exemption it shall be compulsory for concerned "bhumiswami" to submit a certificate issued by the Land Acquisition Officer of the acquired area, in the proforma as shown in the enclosed annexure.

(v) such certificate is enclosed in original with the office copy of the document presented for registration to make it a part of document.

Explanation : *for the purpose of this notification :-*

1) The said Notification shall be deemed to have come into force with effect from 01-November,2007.
2) In the said notification "Scheduled Area" means any area declared to be a Scheduled Area within the State of Chhattisgarh under paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India.
3) No exemption from the payment of stamp duty shall be granted on such document wherein the stamp duty has been paid prior to the date of publication of this notification in the Gazette.
4) The original certificate shall not be required to be produced again, in case more than one instrument of conveyance is presented for registration, in the same Registration Office.

By order and in the name of
Governor of Chhattisgarh.

[signature]

(K.R.MISRA)
Joint Secretary,

Annexure

To avail the benefit of stamp duty granted by Government of Chhattisgarh to affected persons for acquisition of private bhumiswami land in Scheduled Areas

Certificate

(This certificate is to be enclosed in original with the office copy of the the document presented for registration)

***S.No.* ....** ***Dt-*.........................**

Certified that Shri/Smt./Ku. .... son/ daughter/wife of .... caste .... resident of .... tehsil- .... dist-...................... (Chhattisgarh) has been granted a compensation of Rupees ..../- (amount in words ....) on date-....../....../........for acquisition of bhumiswami right land for the purpose of ...., situated in village-.................................... Patwari Halka No.- .... R.I. Circle - .... Block - .... Tehsil -...................... District -........................ (Chhattisgarh) .

Certified that the acquired land is situated in Scheduled Area of Chhattisgarh declared under paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India.

This certificate has been issued on this day today .... for exemption in stamp duty to affected "bhumiswami" for the purchase of agricultural land, subject to the conditions laid-down vide Government of Chhattisgarh, Commercial Tax (Registration) Department Notification No-..................................... dated-....../....../........ and will be effective till ....../....../........ (date) for the execution of the deed.

Place :
Date :

(Seal and signature of
Competent Authority)